अनुबन्ध I

लेखापरीक्षा सिफारिशें के लिएप्रबंधन/मंत्रालय की प्रतिक्रिया

(पैराग्राफ संदर्भः1.7)

क्र.सं.	सिफारिश	मंत्रालय का उत्तर
1.	एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआरएफएमपी मार्गानिर्देशों के अनुसार समायिक रीति में पर्याप्त निधियां जारी करें/निधियां प्रतिपूर्त करे और समयबद्ध रीति में निष्पादन एजेंसियोंको निधियां जारी करने के लिएराज्य सरकारों पर दबाव बनाएं।	12 वीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) को अक्टूबर 2013 के अन्त मेंअनुमोदित किया गया था। जब और जैसे इसकी बैठक की जाती है एफएमपी परियोजनाओं का अनुमोदन शक्ति सम्पन्न समिति द्वारा किया जाता है। पहली किस्त की निर्गम में विलंब मुख्यता 12 वीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के विलम्ब अनुमोदन, एफएमपीमार्गानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्यों/यूटी से दस्तावेज प्राप्त न होने अथवा बजटीय प्रतिबन्धों के कारण मुख्यतया आरोपित किए जा सकते हैं। निष्पादन एजेंसियोंकोराज्य सरकारोंद्वारानिधियां जारी करने के संबंध में निधियां समय से जारी करने के लिएराज्य सरकारों को राजी करने के द्वारा निपटाया जाएगा।
2.	एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर राज्य सरकार तथानिष्पादन एजेंसियों द्वारा निधियों के उपयोग पर कड़ी निगरानी रखें ताकि निधियों के अवरोधन तथा विपथन का परिहार किया जा सके।	सिफारिश सेसहमत/संस्वीकृति आदेश में एक शर्त लगाई जाएगी कि वित्तीय नियमों का पालन किया जाए।
3.	एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर, व्यय के लेखापरीक्षा विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अन्य अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के बाद हीराज्य सरकारों को निधियां जारी/प्रतिपूर्त करें।	एफएमपी मार्गानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। तथापि रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों की जांच कराई जाएगी।

4.	एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर यह सुनिश्चित करने कि परियोजनाओं सम्पूर्ण नदी/सहायक नदी अथवा नदियों/सहायक नदियों के मुख्य खण्ड को शामिल कर समन्वित रीति में बनाई जाती हैं, के बाद एफएमपी के अन्तर्गत परियोजनाओं का अनुमोदन करे।	12 वीं योजना के लिए "बाढ़ प्रबंधन तथा क्षेत्र विशिष्ट मामलों" पर कार्यचालन समूह अक्टूबर 2010योजना आयोग द्वारा गठित किया गया था। समिति की सिफारिश में से एक एकीकृत घाटी प्रबंधन अभिगम था जिस पर मंत्रालय द्वारा हमेशा जोर दिया जाता है। तथापिराज्यों/यूटीके पास संसाधनों की कमी और संकटमय क्षेत्रों में आपात कार्यो को करने के कारण प्रस्ताव राज्यों/यूटी द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनपर एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर द्वारा विचार किया जाता है।
5.	एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर यह सुनिश्चित करने के बाद एफएमपी के अन्तर्गत परियोजनाओं को अनुमत करे कि लाभ लागत अनुपात इससे संबंधित मार्गानिर्देशों के अनुसार सही किया गया है।	बीसी अनुपात परिकल्पित सीडब्ल्यूसी/ एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर मार्गानिर्देशों के अनुसारपरिकल्पितकिए जाते हैं और इस पहलू को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर की सलाहकार समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन के समय पर ध्यान दिया जाता है। तथापि रिपोर्ट में उल्लेखित मामलों की जाँच कराई जाऐगी।
6.	एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर विलम्बित परियोजनाओं के शीघ्र समापन और नई परियोजनाओं के निर्धारित समय में समापन के लिए राज्य सरकारों को सलाह दें है।	परियोजनाओं के समापन में विलम्ब विभिन्न कारणों के कारण था।सीडब्ल्यूसी/जीएफसीसी/बीबी के निगरानी दल राज्य सरकारों को निरन्तर सलाह देते हैं और विलम्बितपरियोजनाओं के शीघ्र समापन हेतुसमाधान भी प्रस्तुत करते हैं। राज्य सरकारों को उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों पर कार्यवाई करनी पड़ती है। एफएमपी के अंतर्गत अल्प बजटीय आवंटन के कारण, राज्य अपेक्षित निधियां प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण समापन में भी विलम्ब होता है।

7.	एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर अपेक्षित भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करने के बाद निधियां जारी करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए।	एफएमपी मार्गानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। तथापि, रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों की जांच कराई जाएगी।
8.	सीडब्ल्यूसी सभी टेलीमेट्रो स्टेशनों को कार्यात्मक चालू बनाकर वास्तविक समय डाटा संचार नेटवर्क पर बाढ़ पूर्वानुमान में तेजी लाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना विकसित करे और सभी लक्षित टेलीमेट्री स्टेशनों को प्रतिष्ठापित करने के लिए उचित कदम उठाए।	नदी जल स्तर डाटा प्राप्ति प्रणाली मूल रूप से यातो नदी तली के पास जल के अन्दर प्रतिष्ठापित बबलर रडारप्रणाली अथवा ऊपरप्रतिष्ठापित रडारप्रणाली से बनती है। जबकि दोनों प्रणालीमजबूत हैं, बबलरप्रणालीके मामले मेंसेंसरों पर गाद के जमाव, पाइपों का टूटनास्थानीय लोगों द्वारा सोलरपैनलों और अन्य अनिवार्य उपकरण पुर्जो की चोरी, धारा के बदलने और कार्य स्थलों पर पर्याप्त जनशक्ति की कमी इन डेटाप्रणालियों के निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। सीडब्ल्यूसी ने इस विषय को समझ लिया है और उन्हें चालू करने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
9.	सीडब्ल्यूसी सुनिश्चित करे कि चेतावनी तथा खतरा स्तर उचित स्तर पर निर्धारित किए गए हैं ताकि बाढ़ पूर्वानुमान सही प्रकार और समय पर किया जा सकें।	-
10.	एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर, बाढ़ों से से असम, उत्तर बिहार तथापूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ समस्या के दीर्घावधि समाधान को सुगम करने के लिए सभीदीर्घावधि आरएमएए परियोजनाओं का शीघ्र सामपन के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करें।	पर्याप्त बाढ़ कुशन तथा बाढ़ समस्याओं का दीर्घवधिहल प्रदान करने के लिए भारत/नेपाल में नदियों पर बड़े जलाशयों का विचार किया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड तथा जीएफसीसी द्वारा मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं। नदियों को आपस में जोड़ना भीबाढ़ जल को लाभदायक रूप से विपथित करने में सहायक होगा। मॉनसून / बाढ़ के दौरान जलाशयों के समन्वित प्रचालकोंके साथ अन्तबाई पूर्वानुमानकाफी हद तक बाढ़ हानियों को कम कर सकता है। जल राज्य का विषय होने परइन प्रयासों में राज्यों का सहयोग सर्वोपरि है।

11.	एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर, राज्य सरकारों के परामर्श से देश में सभी बड़े बांधों के डूब क्षेत्र मानचित्र तैयार करनेऔर जल विज्ञान अध्ययन सहित आपातकाल कार्य योजनाएं तैयार और लागू करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर विकसित करें।	लेखापरीक्षा की आपत्तियां उपचारी कार्रवाई हेतु सीडब्ल्यूसी/बांध पुनरूध्दार तथा सुधार परियोजना (डीआरआईपी) को भेजी जाएंगी।
12.	एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर, बांधों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं तैयार करने और बांधों का निर्धारित पूर्व तथा पश्च मानसून निरीक्षण करने के लिए राज्यों को कहें।	लेखापरीक्षा की आपत्तियां उपचारी कार्रवाई हेतु सीडब्ल्यूसी/बांध पुनरूध्दार तथा सुधार परियोजना (डीआरआईपी) को भेजी जाएंगी।
13.	एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, कार्य बल 2004, जल संसाधनों की संसदीय स्थायी समिति और राष्ट्रीय जल नीति 2002 तथा2012 द्वारा की गई सिफारिशों का पालन के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को कहें और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में निधियों के निर्गम में इन सिफारिशों को कारक बनाएं।	राष्ट्रीय बाढ़ आयोग और जल संसाधनों की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई पहले ही जा चुकी हैं। राष्ट्रीय जल नीति में निर्धारित नीतियों का पालन किया जा रहा है।
14.	एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर बाढ़ मैदान क्षेत्र विधेयक को कानून बनाने समयबद्ध रीति में इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मामला उठाएं।	बाढ़ मैदान क्षेत्र निर्धारित करने के लिए एक माडल विधेयक सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1975 में संघ सरकार द्वारा परिचालित किया गया था। मणिपुर, राजस्थान तथा उत्तराखण्ड राज्यों ने विधेयक को कानून बना दिया और आरम्भिक कार्रवाइयां की गई हैं। बाढ़ मैदान क्षेत्र निर्धारण विधेयक को कानून बनाना राज्य सरकारों पर है।

15.	एमओडब्ल्यूआर,आरडीएण्डजीआर सभी एफएमसी परियोजनाओं का एफएमपी मार्ग निर्देशों के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन और समवर्ती मूल्यांकन करें।	XII योजना मार्ग निर्देशों का पैरा 9.1 निम्नवत शर्त लगाता है: राज्य सरकारें विख्यात स्वतन्त्र संगठन (नों) (जो एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अथवा राज्य सरकारों के सिंचाई/जल संसाधन विभाग के अधीन नहीं हैं) के माध्यम से उनके निष्पादन के दौरान परियोजनओं के समवर्ती मूल्यांकन कराएगे। यह सामान्यतया मार्गनिर्देशों के अनुसार किया गया है, न कि जाने पर, उस पर जोर दियागया है।
16.	एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर एफएमपी की निगरानी में दूरस्थ संवेग प्रौध्योगिकी का उपयोग बढ़ाने पर विचार करे।	इसका उपयोग बाढ़ पूर्वानुमान कार्यकलापों के लिए किया गया है। अन्य कार्यकलापों के लिए, पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन इस पर विचार किया जा सकता है
17.	सीडब्ल्यूसी/जीएफसीसी अपने दौरे के दौरान कार्यस्थल से सामग्री के नमूने एकत्र कर गुणवत्ता जांचे सुनिश्चित करें।	सीडब्ल्यूसी ने बताया कि सीडब्ल्यूसी/जीएफसीसी/बीबी के पास अपनी स्वंय की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं नहीं हैं। यह सुनिश्चित करना परियोजना प्राधिकरणों की उत्तरदायित्व है कि कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप निष्पादित किया जाता है। तथापि यथा अपेक्षित प्रयोगशालाओं में यादृच्छिक नमूना जांच करता है।
18.	एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर पहले से ही निर्मित संरचनाओं में क्षति/बह जाने से संबंधित मामलों की शीघ्र समीक्षा करने और आरम्भ न किए गए निर्माण कार्यों के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मामला उठाएं।	इसका समाधान राज्य सरकारों के क्षेत्र में आता है। मंत्रालय, राज्य सरकारों पर उचित दबाव बनता है जहां अपेक्षित होता है।

अनुबन्ध II

राज्य वार प्रतिचयन
(पैराग्राफ संदर्भः 1.8)

क. बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम

राज्य	01.04.07 से 31.03.15 तक अनुमोदित कार्य	फाइल संवीक्षा हेतु चुनी गई परियोजनाएं	निर्माण कार्य स्थल के दौरे के लिए चुनी गई परियोजनाएं
1. अरूणाचल प्रदेश	21	11	2
2. असम	141	30	10
3. बिहार	47	24	4
4. हरियाणा	1	1	1
5. हिमाचल प्रदेश	7	5	1
6. जम्मू एवं कश्मीर	42	21	4
7. झारखण्ड	3	3	1
8. केरल	4	4	1
9. मणिपुर	22	11	2
10. ओडिशा	68	30	7
11. पुडुचेरी	1	1	1
12. पंजाब	5	5	1
13. सिक्किम	45	22	4
14. तमिलनाडु	5	5	1
15. उत्तरप्रदेश	29	14	3
16. उत्तराखण्ड	21	10	2
17. पश्चिम बंगाल	18	9	2
कुल योग	**480**	**206**	**47**

ख. नदी प्रबन्धन तथा सीमा क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्य

राज्य	कुल परियोजनाएं	फाइल संवीक्षा हेतु चुनी गई परियोजनाएं	निर्माण कार्य स्थल के दौरे के लिए चुनी गई परियोजनाएं
1. असम (बीबी के माध्यम से)	13	4	1
2. बिहार	119	30	10

3. जम्मू एवं कश्मीर	3	2	1
4. उत्तरप्रदेश	32	8	3
5. पश्चिम बंगाल	17	5	2
कुल योग	**184**	**49**	**17**

ग. बाधों के लिए ईएपी

राज्य	पूरी तरह से बन चुके बांधों की संख्या	फाइल संवीक्षा हेतु चुनी गई परियोजनाएं	निर्माण कार्य स्थल के लिए चुनी गई परियोजनाएं
1. बिहार	24	2	2
2. हिमाचल प्रदेश	19	2	2
3. जम्मू एवं कश्मीर	14	2	2
4. झारखण्ड	50	5	5
5. केरल	61	6	6
6. ओडिशा	198	20	10
7. पंजाब	14	2	2
8. तमिलनाडु	116	12	10
9. उत्तरप्रदेश	115	12	10
10. उत्तराखण्ड	16	2	2
11. पश्चिम बंगाल	29	3	3
कुल योग	**656**	**68**	**54**

घ. बाढ़ पूर्वानुमान (एफएफ)

(संख्या में)

राज्य	लेवल एफएफ स्टेशनों की संख्या	अन्तर्बाह एफएफ स्टेशनों की संख्या	लेवल एफएफ स्टेशनों की फाइल संवीक्षा हेतु चुनी गई परियोजनाएं	लेवल एफएफ स्टेशनों के निर्माण स्थल दौरे हेतु चुनी गई परियोजनाएं	अन्तर्बाह एफएफ स्टेशनों की फाइल संवीक्षा हेतु चुनी गई परियोजनाएं	अन्तर्बाह एफएफ स्टेशनों के निर्माण स्थल दौरे हेतु चुनी गई परियोजनाएं
1. असम	24	0	6	2	0	0
2. बिहार	32	0	8	3	0	0
3. हरियाणा	0	1	0	0	1	1

4. झारखण्ड	1	4	1	1	2	1
5. ओडिशा	11	1	3	1	1	1
6. उत्तरप्रदेश	34	1	9	3	1	1
7. उत्तराखण्ड	3	0	1	1	0	0
8. पश्चिम बंगाल	11	3	3	1	2	1
कुल योग	**116**	**10**	**31**	**12**	**7**	**5**

नोटः बाढ़ पूर्नानुमान के लिए केवल आठ राज्य शामिल किए गए हैं क्योंकि 17 चुने गये राज्यों/यूटी में से केवल इन्ही राज्यों में स्टेशन उपलब्ध हैं।

अनुबन्ध III

(पैराग्राफ संदर्भः 1.8)

एमओडब्ल्यूआर, आरडी & जीआर द्वारा नहीं भेजी गई परियोजना फाइलों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

	राज्य/यूटी	चयनित परियोजनाओं की कुल संख्या	चयनित परियोजनाओं की संख्या जिनके अभिलेख भेजे गए	चयनित परियोजनाओं की परियोजना कोड संख्या जिनके अभिलेख नहीं भेजे गए
1.	**अरूणाचल प्रदेश**	11	11	0
2.	**असम**	30	21	9 (एएस-17, 26, 88,102, 112,122,130,135,143)
3.	**बिहार**	24	14	10 (बीआर-3,11,12, 13, 14,16, 22,33,38,39)
4.	**हरियाणा**	1	1	0
5.	**हिमाचल प्रदेश**	5	3	2 (एचपी 5 एवं 9)
6.	**जम्मू एवं कश्मीर**	21	18	3 (जेके- 6,9,18)
7.	**झारखण्ड**	3	3	0
8.	**केरल**	4	4	0
9.	**मणिपुर**	11	11	0
10.	**ओडिशा**	30	10	20 (ओआर- 3,12,13, 15,16,17,19,21,23,25,32, 35,36,44,46,50,54,56,70, 74)
11.	**पुडुचेरी**	1	1	0
12.	**पंजाब**	5	5	0
13.	**सिक्किम**	22	4	18 (एसआईके- 1,4,6,7,11, 12,1314,16,18,21,22, 24,32,35,38,43,45,)
14.	**तमिलनाडु**	5	5	0
15.	**उत्तरप्रदेश**	14	10	4 (यूपी- 1,2,9,10)
16.	**उत्तराखण्ड**	10	8	2 (यूके- 4 एवं 19)
17.	**पश्चिम बंगाल**	9	7	2 (डब्ल्यूबी - 3,6)
	कुल	**206**	**136**	**70**

अनुबन्ध IV

टेलीमेट्री स्टेशनों से सम्बद्ध समस्याओं का मण्डल वार ब्यौरे

पैराग्राफ संदर्भः 4.4

मण्डल	स्थापित टेलीमेट्री स्टेशन	निष्क्रिय टेलीमेट्री स्टेशन	निष्क्रियता की अवधि	कारण
1. अपर यमुना मण्डल	14	8	दो स्टेशनों की संबंध में 2008 और तीन स्टेशनों के संबंध में 2015 से	छः स्थानों में टेलीमेट्री स्टेशन बह गए/ पुर्जे चोरी हो गए/ पुर्जे कार्य नहीं कर रहे थे और दो स्टेशनों में स्थान स्थिति बदली जानी थी।
2. हिमालयन गंगा मण्डल	9	7	जून 2013 से	छः स्थानों में टेलीमेट्री स्टेशन बह गए/ पुर्जे चोरी हो गए/ पुर्जे कार्य नहीं कर रहे थे और दो स्टेशनों में 2013 तथा 2014 बाढ़ सत्र के दौरान स्थिर/गलत रीडिगं प्राप्त हुई थी।
3. मध्य गंगा मण्डल-II, लखनऊ	15	15	जुलाई 2013 से	सभी स्टेशनों के टेलीमेट्री आंकड़े देखे गये आंकड़ों से मेल खा नहीं रहे थे, इसलिए सभी को उचित प्रकार कार्य नहीं कर रहे के रूप में माना गया। तीन स्थानों, यथा, बरेली, फतेहगढ़ तथा डबरी में प्रणालियां कार्य नहीं कर रही थीं अतः सुरक्षा कारणों से इन्हें विखण्डित कर दिया गया।
4. मध्य गंगा मण्डल-III , वाराणसी	10	10	सितम्बर 2011 से जून 2012	प्राप्त आंकड़े मानवीय रूप से प्राप्त आंकड़ों से मिल नहीं रहे थे। प्राप्त आंकड़े (जल स्तर तथा वर्षा दोनों) गलत थे और आरम्भ से ही अविश्वसनीय होने बताये जा रहे थे।

5. मध्य गंगा मण्डल-IV, पटना	8	8	जून 2012 से दिसम्बर 2012	चार स्थानों से पुर्जे चोरी हो गए थे/ पुर्जे कार्य नहीं कर रहे थे और चार स्टेशनों में वास्तविक समय आंकड़े कभी प्राप्त नहीं हुए जिसके हेतु आवश्यक कार्यवाई के लिए बार-बार सूचित किया गया था।
6. मध्य गंगा मण्डल-V, पटना	6	6	जनवरी 2013	सभी छः स्टेशनों में वास्तविक समय आंकडे कभी प्राप्त नहीं हुए क्योंकि स्टेशनों के कुछ पुर्जे क्षतिग्रस्त/ चोरी हो गए थे जिसके लिए आवश्यक कार्यवाई हेतु बार-बार सूचित किया गया/ पटना में संस्थापित माडलिंग केन्द्र 20 जून 2014 से 06 अप्रैल 2015 तक निष्क्रिय था। वर्तमान में यह चालू हालत में था पर गलत आंकडे दे रहा था। एमजीडी-IV तथा एमजीडी-V के अधीन किसी भी टेलीमेट्री स्टेशनों से लम्बे समय से वास्तविक समय आंकड़े प्राप्त नहीं किया जा रहे थे।
7. दामोदर मण्डल	24	12	जून 2007 से अक्टूबर 2013	नौ स्थानों में सुरक्षा कारण/उपकरण संस्थापित नहीं/ उपकरण चोरी/ पुर्जे कार्य नहीं कर रहे थे, के कारण चालू नहीं किए गए/ और तीन स्टेशनों में प्रणाली के प्रतिष्ठापन के बाद से ही आंकडे प्राप्त नहीं हए थे।
8. मध्य ब्रहमपुत्र मण्डल, गुवाहाटी	6	2	मार्च 2012 तथा जुलाई 2015	सोलर पैनल तथा बैटरी चोरी हो गए थे और अन्य स्थान पर तारीख लागर कार्य नहीं कर रहा था।

9. लोअर ब्रहमपुत्र मण्डल, जलपाईगुडी	5	5	अप्रैल 2012 से मार्च 2016	प्रणालियों के प्रतिष्ठापन से मार्च 2016 तक कोई वास्तविक समय आंकडा प्राप्त नहीं हुआ था। सभी पांच स्टेशनों में आरम्भ से ही उनके सम्बन्धित माडलिंग केन्द्र पर स्थिर जल स्तर के आंकड़े दिखाई दिये।
10. कृष्णा एवं समन्वय सर्किल, हैदराबाद	41	1	2009	2009 बाढ़ के दौरान जलमग्न हो गया।
11. लोअर गोदावरी मण्डल/अपर गोदावरी मण्डल, हैदराबाद	67	2	19 सितम्बर 2008 से 02 मार्च 2015	एक 2008 बाढ़ के दौरान बह गया और अन्य टेलीमेट्री स्टेशन का सोलर पैनल आदि चोरी हो गए।
12. सीडब्ल्यूसी, चेन्नई	5	1	नवम्बर 2015	उपकरण 2015 से रीडिंग नहीं दे रहा था।
13. तापीमण्डल सूरत	38	38	09 मई 2011 से 29 अगस्त 2012	38 टेलीमेट्री स्टेशनों में से केवल चार टेलीमेट्री स्टेशन मानवीय रूप से देखे गए जलस्तर से जल स्तर सुमेल पाया गया और किसी भी टेलीमेट्री स्टेशन का वर्षा आंकड़ा सितम्बर 2012 से 31 अक्तूबर 2014 तक मानवीय तौर पर देखे गये वर्षा आंकड़ों से मेल नहीं खाता था। मेसर्स ईएसटीएल द्वारा आपूर्त टिपिंग बकेट रेन गेज (टीपआरजी) ने मानसून सत्र 2012,2013 तथा 2014 के दौरान विनिर्देशों के अनुसार काम नहीं किया था और आईएमडी द्वारा जांच तथा प्रमाणित नहीं की गई थी। उन्होने विशाल अन्तर दर्शाया जब मानक रेन गेज (एसआरजी) के डाटा से तुलना की गई।

14. माही मण्डल, अहमदाबाद	38	38	मार्च 2011 से जुलाई 2012	38 टेलीमेट्री स्टेशनों में से केवल सात टेलीमेट्री स्टेशन में 26 नवम्बर 2012 तक जल स्तर मानवीय रूप से देखे गए से जल स्तर मेल खाते पाए गए। सितम्बर 2012 से 16 फरवरी 2013 तक नौ टेलीमेट्री स्टेशन निष्क्रिय रहे। दो स्टेशन नामतः सोमकामाला अम्बा बांध और पदेरीबाडी क्रमशः 2 अगस्त 2012 से 15 सितम्बर 2012 और 19 सितम्बर 2012 से 15 अक्तूबर 2012 तक निष्क्रिय रहे। 16 फरवरी 2013 के बाद की स्थिति उपलब्ध नहीं थी। मेसर्स ईएसटीएल द्वारा आपूर्त टिपिंग बकेट रेन गेज (टीपीआरजी) ने मानसून सत्र 2012, 2013 तथा 2014 के दौरान विनिर्देशों के अनुसार काम नहीं किया तथा जांच तथा आईएमडी द्वारा प्रमाणित नहीं की गई थी जब मानक रेन गेज (एसआरजी) के आंकड़ों से तुलना की गई तो बहुत अन्तर पाया गया/(अक्तूबर 2014 तक)।
15. महानदी पूर्वी नदी मण्डल, बूर्ला सम्बलपुर ओडिशा	-	2	3 नवम्बर 2012 से 18 जून 2012	बुर्ला में स्टेशन क्रमशः 03 नवम्बर 2012 और 18 जून 2012 (22 अगस्त 2014) तक माडलिंग केन्द्र को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे।

16. पूर्वी नदी मण्डल, भूवनेश्वर	34	34	मार्च 2012	मार्च 2012 से 22 नवम्बर 2012 तक भुवनेश्वर माडलिंग सेंटर में सभी स्थानों से आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ था। 17 स्टेशन जून 2013 से सितम्बर 2013 (26 अक्तूबर 2013 की स्थिति) रिपोर्ट नहीं कर रहे थे।
17. मध्य गंगा मण्डल। - लखनऊ	11	11	अगस्त 2011 से मार्च 2012	सभी स्टेशनों में टेलीमेट्री डाटा मानवीय डाटा से मेल नहीं खाता था। टेलीमेट्री स्टेशनों का रखरखाव संतोषजनक नहीं था (जनवरी 2016 तक)
18. लोअर यमुना मण्डल	15	15	जुलाई 2011 से 20 दिसम्बर 2011 तक	01 जुलाई 2011 से 20 दिसम्बर 2011 के बीच स्थापित सभी स्थान कार्यात्मक नहीं थे। 12 जनवरी 2012 से 01 अक्टूबर 2012 के बीच 139 दिनों के गलत डाटा प्रस्तुत किए और ठेकेदार लगभग ₹ एक करोड़ की शास्ति का भुगतान करने का दायी था। जनवरी 2013 के बाद की स्थिति उपलब्ध नहीं थी।
19. लोअर गंगा मण्डल	29	7	उपलब्ध नहीं	दो स्थानों में बैटरी तथा सोलर पैनल चोरी हो गए थे और सेवा प्रदाता को सूचित किया गया था जिसे आज तक उपलब्ध नही कराया गया था। अन्य पाँच कार्य स्थानों में नोजल/केबल क्षतिग्रस्त थे यह सेवा प्रदाता को सूचित किया गया था जो आज तक उपलब्ध नही किया गया था।
योग	**375**	**222**		